

अध्याय-IV

सरकारी कंपनियों में भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन

यह अध्याय सरकारी कंपनियों द्वारा भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन से संबंधित है। भारतीय लेखा मानकों को प्रथम बार अपनाए जाने से कर पश्चात लाभ (₹ 199.62 करोड़), राजस्व (₹ 94.99 करोड़), कुल परिसंपत्तियों (₹ 569.68 करोड़) एवं निवल मूल्य (₹ 434.64 करोड़) पर नकारात्मक संचयी प्रभाव पड़ा जैसा कि समीक्षा के लिए चयन की गई सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों में उजागर किया गया है।

परिचय

4.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार (जीओआई) ने भारतीय आर्थिक एवं कानूनी वातावरण को ध्यान में रखते हुए तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानकों (आईएफआरएस) को संदर्भित करते हुए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अधीन कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के द्वारा भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) को अधिसूचित किया (फरवरी 2015)। इंड एस का प्रारूप आईएफआरएस, जो कि सामान्यतः स्वीकृत भारतीय लेखा सिद्धांत (आईजीएपी) के ढांचे से मुख्य रूप से तीन पहलुओं अर्थात् उचित मूल्यांकन, कानूनी रूप से अधिक सत्त्व एवं तुलन-पत्र पर अधिक महत्व के आधार पर अलग थे, पर आधारित था।

एमसीए द्वारा इंड एस में, उनको आईएफआरएस के साथ अभिसरण में रखने के लिए, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में संशोधन के माध्यम से समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं। 31 मार्च 2021 को 39 इंड एस प्रभावी थे। इंड एस नियमों के अधीन एमसीए, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एवं 31 मार्च 2021 को प्रभावी इंड एस का विवरण **अनुबंध 4.1** में दिया गया है।

इंड-एस का कार्यान्वयन

4.2 इंड एस नियम, 2015 (31 मार्च 2021 तक संशोधित) ने इंड एस के चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन हेतु मार्ग प्रशस्त किया। इन नियमों के नियम 4 में प्रावधान किया गया है कि कंपनियों एवं उनके लेखापरीक्षकों को क्रमशः अपने वित्तीय विवरणों को तैयार करने में एवं लेखापरीक्षा करने में इन नियमों में निर्दिष्ट इंड एस की अनुपालना करनी होगी।

इंड-एस के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न चरण निम्न प्रकार हैं:

नियम 4 में प्रावधान किया गया है कि निम्नलिखित कंपनियां क्रमशः 1 अप्रैल 2016 से या उसके पश्चात शुरू होने वाले (चरण -1) एवं 1 अप्रैल 2017 से या उसके पश्चात शुरू होने वाले

(चरण -II) वित्तीय विवरणों के लिए इंड एएस का अनुपालन करेंगी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:



- कंपनियां जिनकी पूंजी या ऋण प्रतिभूतियाँ भारत में या भारत के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं एवं जिनकी निवल मूल्य 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है;
- उपरोक्त वर्णित कंपनियों के अलावा 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की निवल मूल्य संपत्ति वाली कंपनियां; एवं
- उपरोक्त वर्णित कंपनियों की धारक, सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां।



- कंपनियां जिनकी पूंजी या ऋण प्रतिभूतियाँ भारत में या भारत के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हैं एवं जिनकी निवल मूल्य 500 करोड़ रुपये से कम है;
- कंपनियां जो उपरोक्त वर्णित कंपनियों के अतिरिक्त हैं एवं जिनका निवल मूल्य 250 करोड़ रुपये या अधिक परन्तु 500 करोड़ रुपये से कम है; एवं
- उपरोक्त वर्णित कंपनियों की धारक, सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां।

नियम 4 में आगे प्रावधान है कि कोई कंपनी 31 मार्च 2015 को समाप्त अथवा उसके पश्चात की अवधि के लिए तुलनात्मक आंकड़ों के साथ 1 अप्रैल 2015 को या उसके पश्चात शुरू होने वाली अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु इंड-एएस का अनुपालन कर सकती है। तथापि, एक बार जब कोई कंपनी स्वेच्छा से या अनिवार्य रूप से इंड एएस के अनुसार प्रतिवेदन शुरू कर देती है, तो वह आईजीएपी पर वापस नहीं आ सकती है।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य

4.3 लेखा परीक्षा का उद्देश्य राजकीय उपक्रमों में इंड-एएस के कार्यान्वयन का अध्ययन निम्न आंकलन करने के लिए था:

- इंड-एएस अपनाए जाते समय सरकारी कंपनियों द्वारा इंड-एएस के प्रावधानों की अनुपालना; एवं
- सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों में इंड-एएस के कार्यान्वयन का प्रभाव।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

4.4 31 मार्च 2021 को, सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में 42 सरकारी कंपनियां (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों सहित) थी। इन 42 सरकारी कंपनियों में से 15 सरकारी

कंपनियों, जिनके द्वारा चरण-I/ चरण-II (स्वैच्छिक रूप से अपनाए जाने सहित) में इंड एएस को अपनाया जाना अपेक्षित था, का संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

इंड-एएस को अपनाने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या	लेखापरीक्षा हेतु लिए गये राजकीय उपक्रमों की संख्या	टिप्पणियां
चरण-I (2016-17)		
चार सरकारी कंपनियों एवं आठ सहायक कंपनियों	चार सरकारी कंपनियों एवं तीन सहायक कंपनियों	चार सहायक कंपनियों ने 31 मार्च 2021 तक वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू नहीं की थी जबकि एक राजकीय उपक्रम ने 2016-17 से अपनी वाणिज्यिक गतिविधि बंद कर दी थी।
चरण-II (2017-18)		
दो सरकारी कंपनियों	दो सरकारी कंपनियों	-
स्वैच्छिक रूप से अपनाया (2019-20)		
एक सरकारी कंपनी ने स्वेच्छा से वित्तीय वर्ष 2019-20 से इंड-एएस को अपनाया।	दायरे में	-

इस प्रकार, इन 15 सरकारी कंपनियों में से, दस सरकारी कंपनियों के एकल वित्तीय विवरणों को, उन अवधियों के लिए जिसमें इन सरकारी कंपनियों ने इंड-एएस को अपनाया था, समीक्षा हेतु अध्ययन में शामिल किया गया। लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई सरकारी कंपनियों की सूची अनुबंध-4.2 में दी गई है।

लेखापरीक्षा कार्यविधि

4.5 चरण-I (2016-17) एवं चरण-II (2017-18) में इंड एएस को अपनाने वाली सरकारी कंपनियों के साथ-साथ वर्ष 2019-20 में प्रथम बार स्वेच्छा से इंड एएस को अपनाने वाली सरकारी कंपनी के इंड एएस अपनाये जाने वाले वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों की समीक्षा लेखापरीक्षा में की गई।

इंड-एएस 101 (इंड एएस का प्रथम बार अंगीकरण) के अनुसार, वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं रोकड़ प्रवाह पर आईजीएपी से इंड-एएस में पारगमन के प्रभाव को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाना था। यह प्रभाव पारगमन तिथि को वित्तीय विवरण के संबंधित तत्व के मूल्य में उसी तिथि को आईजीएपी के अनुसार उसी संबंधित तत्व के मूल्य की तुलना में वृद्धि या कमी के रूप

में प्रस्तुत किया जाता है।

इंड-एएस के विभिन्न प्रावधानों की अनुपालना एवं सरकारी कंपनियों के राजस्व, कर पश्चात लाभ (पीएटी), निवल मूल्य एवं कुल परिसंपत्तियों पर इंड एएस के कार्यान्वयन के प्रभाव का प्रकटन, जैसा कि उनके वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, का विश्लेषण, इंड-एएस अपनाए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व की पहचान, वित्तीय प्रपत्रों एवं संपत्ति, संयंत्र व उपकरण (पीपीई) के मूल्यांकन तथा कर्मचारी लाभों की गणना में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में किया गया था।

प्रथम बार इंड-एएस को अपनाए जाने की समीक्षा

4.6 इंड एएस 101 (प्रथम बार इंड-एएस का अंगीकरण) कंपनी द्वारा प्रथम बार इंड-एएस को अपनाए जाते समय अनुसरण की जाने वाली आवश्यक प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इंड एएस को प्रथम बार अपनाने वाली कंपनी के वित्तीय परिणामों में, आईजीएपी के अनुसार इसकी पूँजी एवं शुद्ध लाभ/हानि का इंड एएस के अनुसार पूँजी एवं शुद्ध लाभ/हानि का समाशोधन सम्मिलित है। समाशोधन हितधारकों को गत आईजीएपी से इंड एएस में पारगमन के कारण तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि विवरण में महत्वपूर्ण समायोजनों को समझने में सक्षम करने वाला होना चाहिए।

इंड एएस 101 का अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि प्रथम बार अपनाने वाला भी वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार करे जैसे कि उसने सदैव इंड एएस लागू किए हों। तथापि, इसमें इंड एएस के पूर्ण पूर्वव्यापी कार्यान्वयन के सिद्धांत में दो प्रकार की छूट की अनुमति दी है। यह रियायतें अनिवार्य छूट एवं स्वैच्छिक छूट हैं।

1. अनिवार्य छूट

इंड-एएस 101 अन्य इंड एएस के कुछ विशिष्ट पहलुओं यथा इंड एएस 10 (प्रतिवेदन अवधि के बाद की घटनाएं), इंड एएस 109 (वित्तीय प्रपत्र) एवं इंड एएस 110 (समेकित वित्तीय विवरण) को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किए जाने को प्रतिबंधित करता है।

2. वैकल्पिक छूट

इंड-एएस 101 अन्य इंड-एएस की विशिष्ट आवश्यकताओं से छूट प्रदान करता है। वैकल्पिक छूट आईजीएपी से इंड एएस अनुवर्ती वित्तीय विवरणों के पारगमन की तिथि से लागू होती है। पारगमन की तिथि सबसे शुरुआती अवधि, जिसके लिए एक कंपनी अपने प्रथम इंड-एएस अनुवर्ती वित्तीय विवरणों में इंड-एएस के अधीन पूर्ण तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत करती है, के प्रारंभ होने की तिथि है। इसलिए, विश्लेषण में राजकीय उपक्रमों हेतु पारगमन की तिथि चरण-I एवं चरण-II के लिए क्रमशः 1 अप्रैल 2015 एवं 1 अप्रैल 2016 है जबकि राजकीय उपक्रम, जिसने स्वेच्छा से 2019-20 से इंड एएस अपनाये थे, के लिए यह 1 अप्रैल 2018 है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 15 सरकारी कंपनियों, जिन्हें स्वेच्छापूर्ण अपनाए जाने सहित चरण I/II

में इंड एएस को अपनाना आवश्यक था, में से निम्नलिखित सरकारी कंपनियों ने अपने वित्तीय विवरणों को तैयार किए जाने में इंड एएस को अपनाते समय इंड एएस 101 के अधीन उपलब्ध वैकल्पिक छूट को प्राप्त किया:

तालिका 4.1: सरकारी कंपनियां जिन्होंने वैकल्पिक छूट प्राप्त की

क्रम संख्या	इंड एएस वैकल्पिक छूट	सरकारी कंपनियां जिन्होंने वैकल्पिक छूट प्राप्त की (संख्या में)
1.	<p>इंड एएस 16- संपत्ति, संयंत्र व उपकरण (पीपीई), इंड एएस 38- अमूर्त संपत्ति एवं इंड एएस 40- निवेश संपत्ति:</p> <p>इंड एएस प्रथम बार अपनाने वाले को इसकी परिसंपत्तियों यथा पीपीई, अमूर्त परिसंपत्तियों एवं निवेश संपत्ति को इंड एएस में पारगमन की तिथि को इनके उचित मूल्य पर मापन करने तथा उस उचित मूल्य को उस तिथि पर इसकी मानी हुई लागत के रूप में प्रयोग करने अथवा विस्थापन दायित्वों हेतु आवश्यक समायोजन करने के पश्चात इनके आईजीएएपी के वहनीय मूल्य पर मापना जारी रखने का विकल्प चुनने की अनुमति देता है।</p>	14
2.	<p>इंड एएस 27- पृथक वित्तीय विवरण:</p> <p>इंड एएस 27 के अनुसार एक इकाई को अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाईयों एवं सहयोगी इकाईयों में अपने निवेश को लागत पर या इंड एएस 109 (वित्तीय प्रपत्रों) के अनुसार लेखांकन करना होगा।</p>	02
3.	<p>इंड एएस 109- वित्तीय प्रपत्र:</p> <p>इंड एएस 109 के अनुसार, एक कंपनी द्वारा एक वित्तीय संपत्ति को, इंड एएस में पारगमन की तिथि को विद्यमान तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर (एफवीटीपीएल) अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर (एफवीओसीआई) मापा हुआ दर्शाया जा सकता है।</p>	06
4.	<p>इंड एएस 17- पट्टे:</p> <p>इंड एएस, जहां महत्वपूर्ण प्रभाव अपेक्षित नहीं हो के अतिरिक्त, प्रथम बार लागू करने वाले को पारगमन की तिथि को विद्यमान तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर पारगमन तिथि को विद्यमान व्यवस्था में पट्टे का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है।</p>	02

स्रोत: राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना।

सरकारी कंपनियों द्वारा प्राप्त विभिन्न छूटों/विकल्पों का विवरण अनुबंध 4.2 में दिए गया है।

इंड-एस के कार्यान्वयन का चयनित प्रमुख क्षेत्रों पर प्रभाव

4.7 इंड एस का कार्यान्वयन कर पश्चात लाभ (पीएटी), राजस्व, कुल परिसंपत्तियों एवं निवल मूल्य के मूल्यांकन को प्रभावित कर सकता है। इंड एस को अपनाए जाते समय सरकारी कंपनियों द्वारा चयन किये गए विकल्पों के आधार पर मूल्यों में वृद्धि या कमी हो सकती है। इंड एस को प्रथम बार अपनाए जाते समय, समीक्षा के लिए चयनित सरकारी कंपनियों ने अपने वित्तीय विवरणों में इंड एस के अनुसार पूँजी एवं शुद्ध लाभ/हानि का आईजीएपी के अनुसार उनकी पूँजी एवं शुद्ध लाभ/हानि के समाशोधन को प्रकट किया। इंड एस के विभिन्न प्रावधानों की अनुपालना की समीक्षा एवं समीक्षा हेतु चयनित दस सरकारी कंपनियों के पीएटी, राजस्व, कुल परिसंपत्तियों तथा निवल मूल्य पर इसके कार्यान्वयन के प्रभाव की चर्चा अनुच्छेद 4.8 से 4.15 में की गई है।

कर पश्चात लाभ (पीएटी) पर प्रभाव

4.8 कर पश्चात लाभ (पीएटी) पर इंड एस को अपनाए जाने के प्रभाव का विश्लेषण किया गया। यह प्रभाव चरण-I की सात सरकारी कंपनियों में 1 अप्रैल 2016 से, चरण-II की दो सरकारी कंपनियों में 1 अप्रैल 2017 से एवं 2019-20 में स्वेच्छा से इंड एस को अपनाने वाली एक सरकारी कंपनी में 1 अप्रैल 2019 से प्रारंभ होने वाली लेखा अवधि के लिए है।

इन दस सरकारी कंपनियों में पीएटी पर इंड एस को अपनाने का प्रभाव निम्न प्रकार है:

तालिका 4.2: कर पश्चात लाभ पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	सरकारी कंपनी का नाम	पीएटी पर प्रभाव		शुद्ध प्रभाव (+)/(-)
		कमी (-)	वृद्धि (+)	
चरण-I (2016-17)				
1	बीएलएमसीएल	-10.37	3.76	-6.61
2	आरआरवीपीएनएल	-74.69	258.17	183.48
3	आरआरवीयूएनएल	-412.42	104.28	-308.14
4	आरएसएमएमएल	-22.40	0.00	-22.40
5	रीको	-108.28	71.50	-36.78
6	जीएलपीएल	-16.58	16.29	-0.29
7	आरएसजीएल	-0.31	0.13	-0.18

चरण-II (2017-18)				
8	आरएसजीएसएमएल	-6.57	3.26	-3.31
9	जेएमआरसी	-1.97	2.80	0.83
स्वैच्छा से इंड एस को अपनाना (2019-20)				
10	केएससीएल	-9.33	3.11	-6.22
शुद्ध संचयी प्रभाव				-199.62

इंड एस को अपनाए जाने के कारण, कर पश्चात लाभ में अधिकतम शुद्ध वृद्धि आरआरवीपीएनएल में देखी गई जबकि कर पश्चात लाभ में अधिकतम शुद्ध कमी आरआरवीयूएनएल में देखी गई।

कर पश्चात लाभ में वृद्धि/कमी में योगदान देने वाले कारक

4.9 इंड एस को अपनाए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों एवं दायित्वों की विभिन्न मदों के मूल्यांकन में परिवर्तन किसी कंपनी के पीएटी को सारभूत रूप से प्रभावित कर सकता है। इंड एस को अपनाए जाने के परिणामस्वरूप चयनित सरकारी कंपनियों (दो सरकारी कंपनियों⁶⁴ के अतिरिक्त) के पीएटी में वृद्धि/कमी निम्नलिखित कारणों से हुई:

आस्थगित करों की पहचान के कारण लाभ में वृद्धि/कमी

4.9.1 इंड एस 12 (आयकर) तुलन पत्र में परिसंपत्ति या दायित्व की वहन राशि एवं उसके कर आधार के बीच अस्थायी अंतर के लेखांकन पर ध्यान केंद्रित करता है जबकि आईजीएपी के अधीन आस्थगित कर लेखांकन उक्त अवधि के लिए कर योग्य लाभ तथा लेखांकन लाभ के बीच अंतर पर ध्यान केंद्रित करता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इंड एस के अनुसार आस्थगित कर की पहचान के कारण:

- रीको ने अपने लाभ में ₹ 20.40 करोड़ की वृद्धि दर्ज की; एवं
- आरएसजीएसएमएल तथा जेएमआरसी ने अपने लाभों में क्रमशः ₹ 3.26 करोड़ तथा ₹ 0.05 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।

निवेश को उचित मूल्य पर मापने के कारण वृद्धि/कमी

4.9.2 इंड-एस के अंतर्गत सभी निवेश को उचित मूल्य पर मापा जाता है। आईजीएपी के अंतर्गत, वर्तमान निवेश को लागत अथवा तुलन पत्र तिथि को व्यक्तिगत निवेश के आधार पर निर्धारित लागत में से जो कम हो पर दर्ज किया जाता है। साथ ही, दीर्घकालिक निवेशों को मूल्य

64 बीएलएमसीएल एवं आरएसएसएमएल ने यद्यपि लाभ एवं हानि खाता हेतु समाशोधन विवरण-पत्र तैयार किए परन्तु पीएटी में वृद्धि/कमी में योगदान देने वाले कारकों को प्रकट नहीं किया था।

में स्थायी कमी को घटाते हुए शुद्ध लागत पर दर्ज किया जाता है। इसलिए, इंड एएस को अपनाए जाने पर, निवेश में उचित मूल्य में परिणामी परिवर्तन को लाभ या हानि के माध्यम से मान्यता दी जाती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इंड-एएस 113 के अनुसरण में लाभ तथा हानि के माध्यम से निवेश की उचित मूल्य पर माप के कारण, रीको ने अपने लाभ में ₹ 4.45 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।

नियोजन-पश्चात लाभों के पेटे दायित्वों के मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण वृद्धि/कमी

4.9.3 आईजीएएपी के अंतर्गत बीमांकिक लाभ/हानि सहित संपूर्ण लागत वर्ष के लाभ या हानि का हिस्सा बनते हैं जबकि इंड एएस 19 के अंतर्गत ऐसे मापों को अन्य व्यापक आय के अंतर्गत पहचाना जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इंड-एएस के अंतर्गत नियोजन-पश्चात लाभों के पेटे दायित्वों के मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण:

- i. आरआरवीपीएनएल, आरआरवीयूएनएल एवं रीको ने अपने लाभों में क्रमशः ₹ 173.31 करोड़, ₹ 51.02 करोड़ एवं ₹ 1.44 करोड़ की वृद्धि दर्ज की; तथा
- ii. आरएसजीएसएमएल एवं जेएमआरसी ने अपने लाभों में क्रमशः ₹ 2.23 करोड़ एवं ₹ 1.94 करोड़ की कमी दर्ज की।

संपत्ति, संयंत्र व उपकरण के पुर्जों के पूंजीकरण के कारण वृद्धि/कमी

4.9.4 इंड एएस 16 के अंतर्गत, मुख्य निरीक्षण/जाँच सहित पीपीई की परिभाषा में आने वाले पुर्जों को पृथक रूप से पूंजीकृत एवं मूल्यहासित किया जाता है। आईजीएएपी के अंतर्गत पुर्जों की माल के रूप में पहचान की जाती है जबकि उनकी मुख्य निरीक्षण लागत को आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में पहचाना जाता है एवं इसे भविष्य के आर्थिक लाभों के आधार पर लाभ या हानि पर भारित किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इंड एएस के अनुसार पुर्जों के मूल्यांकन की विधि को अपनाए जाने के कारण:

- i. आरआरवीपीएनएल, आरआरवीयूएनएल एवं जीएलपीएल ने अपने लाभों में क्रमशः ₹ 3.51 करोड़, ₹ 47.45 करोड़ एवं ₹ 0.14 करोड़ की वृद्धि दर्ज की; तथा
- ii. आरआरवीयूएनएल एवं जीएलपीएल ने अपने लाभों में क्रमशः ₹ 15.12 करोड़ एवं ₹ 0.49 करोड़ की कमी दर्ज की। यह कमी मुख्य निरीक्षणों पर मूल्यहास भारित करने एवं पुर्जों के परिशोधन के कारण थी।

वित्तीय संपत्तियों एवं वित्तीय दायित्वों के मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण वृद्धि/कमी

4.9.5 वित्तीय संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जिसमें एक कंपनी को नकदी प्राप्त करने का

संविदात्मक अधिकार है जबकि वित्तीय दायित्व वह हैं जिनमें एक कंपनी के पास नकदी सुपुर्द करने के लिए संविदात्मक दायित्व है।

इंड एएस के प्रकरण में, वित्तीय संपत्तियों एवं वित्तीय दायित्वों को परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है जबकि आईजीएएपी के तहत, इन्हें लागत पर दर्ज किया जाता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि इंड एएस के तहत वित्तीय संपत्तियों एवं वित्तीय दायित्वों के मूल्यांकन की नई पद्धति को अपनाने के कारण:

- i. जेएमआरसी ने अपने लाभों में ₹ 0.005 करोड़ की वृद्धि दर्ज की; और
- ii. आरआरवीयूएनएल एवं जीएलपीएल ने अपने लाभों में क्रमशः ₹ 68.02 करोड़ एवं ₹ 0.05 करोड़ की कमी दर्ज की। आरआरवीयूएनएल के लाभों में कमी वित्तीय संपत्तियों के हास (₹ 66.21 करोड़) एवं वित्तीय संपत्तियों के परिशोधन (₹ 1.81 करोड़) के कारण हुई थी।

वित्त लीज के मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण कमी

4.9.6 आईजीएएपी के अंतर्गत, वित्त लीज को लीज के समय किए गए अग्रिम भुगतान पर पूंजीकृत किया जाता है जबकि इंड एएस 17 के अंतर्गत, इस तरह की लीज को वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इंड एएस के अंतर्गत वित्त लीज के मूल्यांकन की नई पद्धति अपनाने के कारण आरआरवीपीएनएल ने अपने लाभों में ₹ 0.78 करोड़ की कमी दर्ज की।

अन्य कारणों से वृद्धि/कमी

4.9.7 लेखापरीक्षा ने देखा कि पांच सरकारी कंपनियों ने अन्य कारणों से लाभ में वृद्धि दर्ज की, जैसा कि नीचे वर्णित है:

- i. रीको ने इंड एएस के अनुसार एनपीए पर उपार्जित ब्याज के समायोजन एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के कारण अपने लाभ में क्रमशः ₹ 9.91 करोड़ एवं ₹ 7.18 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। साथ ही, रीको ने इंड एएस के अनुसार पूर्व अवधि की मदों के समायोजन के कारण अपने लाभ में ₹ 5.25 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।
- ii. जेएमआरसी ने इंड एएस के अनुसार पूर्व अवधि की मदों के समायोजन एवं मूल्यहास के कारण अपने लाभ में क्रमशः ₹ 2.53 करोड़ एवं ₹ 0.18 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।
- iii. जीएलपीएल ने इंड एएस के अनुसार पूर्व अवधि की मदों के समायोजन के कारण अपने लाभ में ₹ 0.11 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।

- iv. केएससीएल ने इंड एस को अपनाने पर प्रावधानों में समायोजन के कारण अपने लाभ में ₹ 3.12 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।
- v. आरएसजीएल ने पूर्व अवधि समायोजन के पुनः कथन एवं समता पूँजी अंशों की लेनदेन लागत पलटने के कारण अपने लाभ में क्रमशः ₹ 0.11 करोड़ एवं ₹ 0.02 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि छः सरकारी कंपनियों ने अन्य कारणों से लाभ में कमी दर्ज की, जैसा कि नीचे वर्णित है:

- i. रीको ने इंड एस में पारगमन पर हानि परिसंपत्तियों को वसूली योग्य राशि के वर्तमान मूल्य पर पुनः कथन करने एवं राजस्व पहचान में परिवर्तन के कारण अपने लाभ में क्रमशः ₹ 4.43 करोड़ एवं ₹ 79.05 करोड़ की कमी दर्ज की। साथ ही, रीको ने इंड एस के अनुसार पूर्व अवधि की मदों के समायोजन के कारण अपने लाभ में ₹ 0.09 करोड़ की कमी दर्ज की।
- ii. आरएसजीएसएमएल के अपने लाभ में ₹ 4.35 करोड़ की कमी दर्ज की। लाभ में कमी इंड एस के अनुसार असाधारण मदों के समायोजन (₹ 4.23 करोड़) एवं अधिमान लाभांश को ब्याज लागत के रूप दर्ज करने (₹ 0.12 करोड़) के कारण हुई थी।
- iii. आरआरवीयूएनएल ने इंड एस के अनुसार पूर्व अवधि की मदों के समायोजन के कारण अपने लाभ में ₹ 323.47 करोड़ की कमी दर्ज की।
- iv. केएससीएल ने इंड एस के अनुसार ब्याज के उलटाव के कारण अपने लाभ में ₹ 9.33 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की।
- v. आरएसजीएल ने पूर्व अवधि मदों के उलटाव एवं लीज अवधि में भावी प्रभाव से लीजहोल्ड भूमि पर मूल्यहास की पहचान करने के कारण अपने लाभ में क्रमशः ₹ 0.26 करोड़ एवं ₹ 0.05 करोड़ की कमी दर्ज की।

परिचालनों से राजस्व पर प्रभाव

4.10 इंड एस 18 (राजस्व) के अंतर्गत, राजस्व आर्थिक लाभों का सकल प्रवाह है जो एक इकाई की सामान्य गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होता है जिसके परिणामस्वरूप निवल मूल्य प्रतिभागियों के योगदान से संबंधित वृद्धि के अलावा अन्य निवल मूल्य में वृद्धि होती है। आईजीएपी (एस 9 - राजस्व पहचान) के अनुसार, राजस्व किसी इकाई की सामान्य गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होने वाली नकदी, प्राप्य या अन्य आय, जो कि माल के विक्रय से, सेवाओं के प्रतिपादन से एवं इकाई संसाधनों का अन्य लोगों द्वारा उपयोग किए जाने से प्राप्त ब्याज, रॉयल्टी तथा लाभांश से होती है, का सकल प्रवाह है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षा में समीक्षा हेतु चयनित दस सरकारी कंपनियों में से चार सरकारी कंपनियों ने इंड एस को अपनाए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व में समायोजन किया। इनमें से एक सरकारी कंपनी (रीको) ने राजस्व में उल्लेखनीय कमी (₹ 103.21 करोड़) दर्ज की जबकि तीन सरकारी कंपनियों ने राजस्व में ₹ 8.22 करोड़ की वृद्धि दर्ज की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 94.99 करोड़ का शुद्ध संचयी नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

परिचालनों से राजस्व में वृद्धि/कमी हेतु उत्तरदायी कारक

4.11 इंड एस को अपनाए जाने का परिचालनों से राजस्व पर कंपनी वार प्रभाव निम्नानुसार है:

- i. रीको ने राजस्व पहचान हेतु लेखांकन नीति में बदलाव, उपभोक्ताओं एवं ठेकेदारों से प्रतिभूति जमा के साथ-साथ कर्मचारियों को ऋण को उचित मूल्य पर मानने इत्यादि के कारण राजस्व में ₹ 103.21 करोड़ की कमी दर्ज की।
- ii. आरएसएमएमएल ने अपने लेनदेन मूल्य के बजाय उचित मूल्य पर राजस्व की पहचान के कारण राजस्व में ₹ 3.21 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।
- iii. आरआरवीपीएनएल ने पूर्व अवधि की त्रुटियों के समायोजन/सुधार के कारण राजस्व में ₹ 3.19 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।
- iv. आरएसजीएसएमएल ने इंड एस के अनुसार राजस्व पहचान की पद्धति में बदलाव के कारण राजस्व में ₹ 1.82 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।

कुल परिसंपत्तियों के मूल्य पर प्रभाव

4.12 इंड एस 16 {संपत्ति, संयंत्र व उपकरण (पीपीई)}, इंड एस 38 {अमूर्त परिसंपत्तियां}, इंड एस 32 {वित्तीय प्रपत्र: प्रस्तुतिकरण}, इंड एस 109 {वित्तीय प्रपत्र} एवं इंड एस 40 {निवेश संपत्ति} के संबंध में आईजीएपी की तुलना में इंड एस के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित लेखांकन विधियों में अंतर के कारण कुल परिसंपत्तियों का मूल्य प्रभावित होता है। इंड एस 101 {प्रथम बार इंड एस का अंगीकरण} इसे अपनाने वाले को उसके सभी पीपीई, अमूर्त परिसंपत्तियों एवं निवेश संपत्ति के वहनीय मूल्य, जैसा कि इंड एस में पारगमन तिथि को आईजीएपी के अनुसार वित्तीय विवरणों में मापा गया था, को विस्थापन दायित्वों में आवश्यक समायोजन करने के पश्चात जारी रखने की अनुमति देता है।

चयनित सरकारी कंपनियों में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य पर इंड एस को अपनाए जाने का कंपनी वार प्रभाव निम्नानुसार है:

तालिका 4.3: कुल परिसंपत्तियों के मूल्य पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	सरकारी कंपनी का नाम	कुल परिसंपत्तियों पर प्रभाव		
		कमी (-)	वृद्धि (+)	शुद्ध प्रभाव (+)/(-)
चरण-I				
1	बीएलएमसीएल	-1.71	100.62	98.91
2	आरआरवीपीएनएल	-64.49	6.07	-58.42
3	आरआरवीयूएनएल	-867.18	386.87	-480.31
4	आरएसएमएमएल	-2.67	22.01	19.34
5	रीको	-296.63	143.07	-153.56
6	जीएलपीएल	-2.37	6.90	4.53
7	आरएसजीएल	आरएसजीएल ने इंड एस के आधार पर तैयार किए गये वित्तीय विवरणों में अपनी कुल परिसंपत्तियों पर इंड एस को अपनाए जाने के प्रभाव को प्रकट नहीं किया था।		
चरण-II				
8	आरएसजीएसएमएल	आरएसजीएसएमएल ने इंड एस के आधार पर तैयार किए गये वित्तीय विवरणों में अपनी कुल परिसंपत्तियों पर इंड एस को अपनाए जाने के प्रभाव को प्रकट नहीं किया था।		
9	जेएमआरसी	-	2.63	2.63
स्वैच्छिक अपनाना				
10	केएससीएल	-2.80	-	-2.80
शुद्ध संचयी प्रभाव				-569.68

कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में ₹ 98.91 करोड़ की अधिकतम समग्र वृद्धि बीएलएमसीएल के प्रकरण में पायी गई थी जबकि कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में ₹ 480.31 करोड़ की अधिकतम समग्र कमी आरआरवीयूएनएल के मामले में पायी गई थी।

कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि/कमी हेतु उत्तरदायी कारक

4.13 लेखापरीक्षा विश्लेषण में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि/कमी हेतु निम्नलिखित कारण प्रकट हुए:

पीपीई की पहचान हेतु नीति में बदलाव के कारण वृद्धि/कमी

4.13.1 इंड एस के अनुसार, ऐसे स्पेयर पार्ट्स, जो पीपीई की परिभाषा को पूर्ण करते हो, के मूल्य को भंडार सामग्री के बजाय पीपीई के रूप में माना जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इंड एस को अपनाए जाने एवं इंड एस 16 के अनुसार स्पेयर पार्ट्स

को पीपीई के रूप में मानने के कारण:

- i. आरआरवीयूएनएल, जीएलपीएल एवं आरएसएमएमएल ने अपनी कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में क्रमशः ₹ 234.38 करोड़, ₹ 6.88 करोड़ एवं ₹ 0.32 करोड़ की वृद्धि दर्ज की; तथा
- ii. आरआरवीपीएनएल ने अपनी कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में ₹ 9.69 करोड़ की कमी दर्ज की।

निवेश की उचित मूल्य पर पहचान के कारण वृद्धि/कमी

4.13.2 आईजीएपी के तहत, निवेश को लागत पर पहचाना जाता है जबकि इंड एस के अनुसार इसे उचित मूल्य पर पहचाना जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इंड एस को अपनाए जाने के कारण:

- i. आरएसएमएमएल एवं आरआरवीपीएनएल ने निवेश के मूल्य में क्रमशः ₹ 1.51 करोड़ एवं ₹ 0.01 करोड़ की वृद्धि दर्ज की; तथा
- ii. रीको ने निवेश के मूल्य में ₹ 28.55 करोड़ की कमी दर्ज की।

अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान के कारण वृद्धि/कमी

4.13.3 इंड एस के अनुसार, अमूर्त परिसंपत्तियों को परिशोधित किया जाता है जबकि आईजीएपी के तहत, अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत पर पहचाना जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इंड एस को अपनाए जाने के कारण बीएलएमसीएल एवं आरआरवीयूएनएल ने अमूर्त संपत्ति के परिशोधन पर क्रमशः ₹ 98.91 करोड़ एवं ₹ 91.67 करोड़ की वृद्धि दर्ज की

वित्तीय परिसंपत्तियों में परिवर्तन के कारण वृद्धि/कमी

4.13.4 वित्तीय परिसंपत्तियों में परिवर्तन निम्नानुसार था:

- i. आरआरवीयूएनएल ने पुनर्वर्गीकरण के कारण नकद व नकद समकक्ष में ₹ 58.85 करोड़, ऋणों में ₹ 116.34 करोड़ एवं अन्य चालू परिसंपत्तियों में ₹ 217.57 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की। इसने चालू वित्तीय परिसंपत्तियों (नकद व नकद समकक्ष को छोड़कर) में ₹ 52.16 करोड़ एवं गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में ₹ 8.66 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की।
- ii. रीको ने अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के परिशोधन के कारण ₹ 28.56 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।

अन्य कारण

4.13.5 कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में परिवर्तन के अन्य कारण निम्नानुसार थे:

- i. आरआरवीपीएनएल ने व्यापार प्राप्य में पूर्व अवधि की मदों के समायोजन के कारण ₹ 5.98 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। साथ ही, इसने 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर', अन्य चालू परिसंपत्तियों एवं वर्तमान कर परिसंपत्तियों (शुद्ध) में समायोजन के कारण क्रमशः ₹ 15.94 करोड़ रुपये, ₹ 19.91 करोड़ रुपये और ₹ 18.95 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की गई।
- ii. रीको ने भंडार सामग्री में (i) राजस्व पहचान की नीति में बदलाव, जहां इसने विकास के उचित स्तर पर राजस्व को पहचानना शुरू किया, को अपनाने पर एवं (ii) स्कंध, अंश तथा प्रतिभूति का भंडार सामग्री (₹ 66.60 करोड़) के बजाय अन्य चालू निवेशों के अधीन पुनर्वर्गीकरण करने, से बदलाव; सहायक कंपनियों में निवेश (₹ 45.05 करोड़) का इंड एस के अनुसार तुलन पत्र में पृथक लाइन मद के रूप में पुनर्वर्गीकरण; चालू परिसंपत्तियों के अधीन निवेश का पुनर्वर्गीकरण (₹ 2.23 करोड़); अन्य चालू परिसंपत्तियों का परिशोधन (₹ 0.20 करोड़); के कारण ₹ 114.08 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। रीको ने परिशोधित लागत पर अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में समायोजन के कारण परिसंपत्तियों के मूल्य में ₹ 0.42 करोड़ की भी वृद्धि दर्ज की। साथ ही, रीको ने प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग कर ऋण का परिशोधन वर्तमान मूल्य पर (₹ 35.44 करोड़), राजस्व पहचान हेतु नीति में बदलाव से व्यापार प्राप्तियों में परिवर्तन (चालू: ₹ 219.89 करोड़ एवं गैर-चालू: ₹ 7.35 करोड़) तथा वर्तमान कर आस्तियों (₹ 5.39 करोड़) के कारण ₹ 268.07 करोड़ की कमी दर्ज की।
- iii. जीएलपीएल ने व्यापार प्राप्य में ₹ 0.02 करोड़ की वृद्धि एवं भंडार सामग्री तथा अन्य चालू परिसंपत्तियों में ₹ 2.37 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की।
- iv. जेएमआरसी ने ऋण के वहनीय मूल्य पर ब्याज घटक को उधार लागत के रूप में मानने के कारण 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर' में ₹ 2.31 करोड़ की वृद्धि दर्ज की। इसने विगत अवधियों के दौरान गलत रूप से भारित किए गए मूल्यहास के सही वर्गीकरण के कारण भी पीपीई के मूल्य में ₹ 0.33 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई।
- v. आरआरवीयूएनएल ने 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर' में समायोजन, अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में समायोजन, अन्य चालू परिसंपत्तियों में बदलाव एवं भंडार सामग्री में बदलाव के कारण ₹ 380.84 करोड़, ₹ 39.87 करोड़, ₹ 17.34 करोड़ एवं ₹ 36.37 करोड़ की कमी दर्ज की।
- vi. आरएसएमएमएल ने भंडार सामग्री (₹ 2.59 करोड़) एवं अन्य चालू परिसंपत्तियों (₹ 0.08 करोड़) में कमी के कारण ₹ 2.67 करोड़ की कमी दर्ज की। साथ ही, इसने

पारगमन तिथि को अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में समायोजन के कारण ₹ 20.18 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की।

- vii. केएससीएल ने शुद्ध आयकर देयता में जमा अग्रिम कर के समायोजन के कारण ₹ 2.80 करोड़ की कमी दर्ज की।

निवल मूल्य पर इंड एस के कार्यान्वयन का प्रभाव

4.14 निवल मूल्य कंपनी की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य के मध्य का अंतर होता है। निवल मूल्य की गणना प्रदत्त समता पूँजी, मुक्त आरक्षित निधियों एवं प्रतिभूति प्रीमियम स्वाते के एकीकृत मूल्य में से संचित हानियों, आस्थगित व्यय एवं अपलिखित नहीं किए गये विविध व्यय के एकीकृत मूल्य को घटाकर की जाती है। मुक्त आरक्षित निधियों में परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन, मूल्यहास का पुनरांकन एवं समामेलन से निर्मित आरक्षित निधि सम्मिलित नहीं होती है।

इंड एस को अपनाए जाने पर इंड एस में पारगमन तिथि को एक प्रारंभिक तुलन पत्र तैयार करना अनिवार्य है। लेखांकन नीतियाँ, जो एक उपक्रम अपने प्रारंभिक इंड एस तुलन पत्र में उपयोग करती हैं, उन नीतियों से भिन्न हो सकती हैं जिनका उपयोग उसने उसी तिथि हेतु आईजीएपी का उपयोग करके किया था। इंड एस में पारगमन तिथि (यथा चरण-I के लिए 1 अप्रैल 2016, चरण-II के लिए 1 अप्रैल 2017 एवं एक सरकारी कंपनी द्वारा इंड एस को स्वैच्छा से अपनाने के लिए 1 अप्रैल 2019) को प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधियों के लिए निवल मूल्य पर इंड एस को अपनाए जाने का क्रमशः 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016 एवं 31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए तुलनात्मक प्रभाव निम्न प्रकार है:

तालिका 4.4: निवल मूल्य पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	सरकारी कंपनी का नाम	निवल मूल्य पर प्रभाव		
		कमी (-)	वृद्धि (+)	शुद्ध प्रभाव (+)/(-)
चरण-I				
1	बीएलएमसीएल	-44.70	14.42	-30.28
2	आरआरवीपीएनएल	-27.97	3.52	-24.45
3	आरआरवीयूएनएल	-368.31	58.15	-310.16
4	आरएसएमएमएल	-78.64	121.71	43.07
5	रीको	-151.74	101.33	-50.41
6	जीएलपीएल	-1.74	5.01	3.27
7	आरएसजीएल	-0.33	0.13	-0.20
चरण-II				

8	आरएसजीएसएमएल	-5.69	6.62	0.93
9	जेएमआरसी	-3.43	0.38	-3.05
स्वैच्छिक अपनाना				
10	केएससीएल	-63.36	0.00	-63.36
शुद्ध संचयी प्रभाव				-434.64

निवल मूल्य में ₹ 43.07 करोड़ की अधिकतम समग्र वृद्धि आरएसएमएमएल में पायी गई थी जबकि निवल मूल्य में ₹ 310.16 करोड़ रुपये की अधिकतम समग्र कमी आरआरवीयूएनएल के प्रकरण में पायी गई थी।

निवल मूल्य में वृद्धि/कमी हेतु उत्तरदायी कारक

4.15 लेखापरीक्षा में समीक्षा हेतु चयनित दस सरकारी कंपनियों में से तीन सरकारी कंपनियों ने निवल मूल्य में वृद्धि दर्ज की जबकि सात सरकारी कंपनियों ने निवल मूल्य में कमी दर्ज की। लेखापरीक्षा विश्लेषण में इंड-एस को अपनाए जाने पर तीन सरकारी कंपनियों के निवल मूल्य में वृद्धि हेतु निम्नलिखित कारण उजागर हुए:

- इंड एस को अपनाए जाने के कारण आरएसएसएमएल के निवल मूल्य में ₹ 43.07 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की। इसमें प्रस्तावित लाभांश⁶⁵ को रद्द करने, स्वान समापन दायित्व को उलटने, प्रारंभिक पूर्व अवधि प्रभाव, इंड एस 19 के अनुसार ग्रेच्युटी पर बीमांकिक लाभ, निवेश पर उचित मूल्यांकन लाभ एवं पीपीई की पहचान करने के कारण क्रमशः ₹ 93.34 करोड़, ₹ 12.71 करोड़, ₹ 11.60 करोड़, ₹ 2.11 करोड़, ₹ 1.51 करोड़ एवं ₹ 0.44 करोड़ की वृद्धि सम्मिलित थी। इसमें गत वर्ष के लाभांश के भुगतान, गत वर्ष के लिए लाभ व हानि में अंतर का समायोजन, प्रगतिशील खनन समापन प्रभारों हेतु प्रावधान, कलपुर्जों का पूर्ण मूल्यहास, स्वान समापन दायित्व पर परिशोधन, आस्थगित कर देयता का प्रभाव एवं कलपुर्जों का पूंजीकरण करने के कारण क्रमशः ₹ 46.67 करोड़, ₹ 22.40 करोड़, ₹ 3.81 करोड़, ₹ 2.86 करोड़, ₹ 2.34 करोड़, ₹ 0.49 करोड़ एवं ₹ 0.07 करोड़ की कमी भी सम्मिलित थी।

65 आईजीएपी के अंतर्गत, अंशधारको के अनुमोदन को ध्यान में रखे बिना प्रस्तावित लाभांश को उस अवधि, जिससे वह संबंधित है, के दौरान दायित्व के रूप में माना जाता है। इंड एस के अंतर्गत, लाभांश को उस अवधि में दायित्व के रूप में माना जाता है जिसके दौरान इसको घोषित (साधारण सभा में अंशधारकों के अनुमोदन पर) अथवा भुगतान किया गया हो।

- ii. इंड एएस को अपनाए जाने के कारण जीएलपीएल के निवल मूल्य में ₹ 3.27 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई। इसमें पूर्व अवधि मदों का समायोजन, इंड एएस 16 के अनुसार पीपीई में कलपुर्जों का पूंजीकरण एवं परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों/दायित्वों की पहचान करने के कारण क्रमशः ₹ 4.86 करोड़, ₹ 0.14 करोड़ एवं ₹ 0.01 करोड़ की वृद्धि सम्मिलित थी। इसमें पूंजीगत कलपुर्जों पर मूल्यहास भारित किए जाने के कारण ₹ 1.74 करोड़ की कमी भी सम्मिलित थी।
- iii. इंड एएस को अपनाए जाने के कारण आरएसजीएसएमएल के निवल मूल्य में ₹ 0.93 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई। इसमें इंड एएस 19 के अनुसार कर्मचारी लाभ में पूर्वव्यापी समायोजन के कारण ₹ 6.62 करोड़ की वृद्धि सम्मिलित थी। इसमें समाशोधन करने पर अन्य लाभ में परिवर्तन एवं इंड एएस 12 के अनुसार आस्थगित करों के समायोजन के कारण क्रमशः ₹ 3.20 करोड़ एवं ₹ 2.49 करोड़ की कमी भी सम्मिलित थी।

लेखापरीक्षा के आगे के विश्लेषण में इंड एएस को अपनाए जाने पर तीन सरकारी कंपनियों के निवल मूल्य में कमी हेतु निम्नलिखित कारण उजागर हुए:

- i. इंड-एएस को अपनाए जाने के कारण आरआरवीयूएनएल के निवल मूल्य में ₹ 310.16 करोड़ की शुद्ध कमी दर्ज की गई। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति एवं इंड एएस 16 के अनुसार कलपुर्जों एवं मुख्य निरीक्षण हेतु मूल्यहास के समायोजन के कारण क्रमशः ₹ 331.40 करोड़ एवं ₹ 36.91 करोड़ की कमी सम्मिलित थी। इसमें कलपुर्जों का पीपीई में पूंजीकरण, इंड एएस 16 के अनुसार पीपीई में मुख्य निरीक्षणों का पूंजीकरण, इंड एएस 109 के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों/देनदारियों का परिशोधन एवं पूर्व अवधि समायोजन के कारण क्रमशः ₹ 35.01 करोड़, ₹ 20.59 करोड़, ₹ 2.35 करोड़ एवं ₹ 0.20 करोड़ की वृद्धि भी सम्मिलित है।
- ii. इंड एएस को अपनाए जाने के कारण बीएलएमसीएल के निवल मूल्य में ₹ 30.28 करोड़ की शुद्ध कमी दर्ज की गई। इसमें खान समापन प्रभारों के समायोजन एवं उधारियों पर लेन-देन लागत के परिशोधन के कारण क्रमशः ₹ 44.57 करोड़ एवं ₹ 0.13 करोड़ की कमी सम्मिलित थी। इसमें इंड एएस-12 के अनुसार आस्थगित करों की पहचान के कारण ₹ 14.42 करोड़ की वृद्धि भी सम्मिलित थी।
- iii. इंड एएस को अपनाए जाने के कारण आरआरवीपीएनएल के निवल मूल्य में ₹ 24.45 करोड़ की शुद्ध कमी दर्ज की गई। इसमें इंड एएस-8 के अनुसार पूर्व अवधि समायोजन एवं वर्तमान मूल्य पर लीजहोल्ड भूमि के पूंजीकरण के कारण क्रमशः ₹ 25.82 करोड़

एवं ₹ 2.15 करोड़ की कमी सम्मिलित थी। इसमें इंड एएस-16 के अनुसार कलपुर्जों का पीपीई में पूंजीकरण एवं इंड एएस 113 के अनुसार परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान के कारण ₹ 3.52 करोड़ की वृद्धि भी सम्मिलित थी।

- iv. इंड एएस को अपनाए जाने के कारण रीको के निवल मूल्य में ₹ 50.41 करोड़ की शुद्ध कमी दर्ज की गई। इसमें राजस्व पहचान⁶⁶ हेतु लेखांकन नीति में परिवर्तन, संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों हेतु प्रावधानों के समायोजन एवं इंड एएस 19 के अनुसार परिभाषित लाभ योजना के मूल्यांकन में परिवर्तन के कारण क्रमशः ₹ 123.83 करोड़, ₹ 27.01 करोड़ एवं ₹ 0.90 करोड़ की कमी सम्मिलित थी। इसमें हानि परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य पर वर्गीकरण, एनपीए पर उपार्जित ब्याज का परिशोधन, पूर्व अवधि मदों का समायोजन, लाभांश वितरण कर की वर्ष के दायित्व के रूप में पहचान, आस्थगित कर की पहचान में बदलाव एवं इंड एएस 109 के अनुसार सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यमों में निवेश का उचित मूल्यांकन के कारण क्रमशः ₹ 4.43 करोड़, ₹ 18.54 करोड़, ₹ 1.10 करोड़, ₹21.02 करोड़, ₹39.72 करोड़ एवं ₹16.51 करोड़ की वृद्धि भी सम्मिलित थी।
- v. इंड एएस को अपनाए जाने के कारण जेएमआरसी के निवल मूल्य में ₹ 3.05 करोड़ की शुद्ध कमी दर्ज की गई। इसमें इंड एएस 19 (₹ 3.40 करोड़) के अनुसार कर्मचारी लाभ व्यय के समायोजन एवं इंड एएस 109 (₹ 0.03 करोड़) के अनुसार प्रतिभूति जमा की कटौती के कारण हुई कमी सम्मिलित थी। इसमें इंड एएस 109 के अनुसार मूल्यहास के समायोजन एवं आस्थगित राजस्व आय (देय प्रतिभूति जमा) की कटौती के कारण क्रमशः ₹ 0.33 एवं ₹ 0.05 करोड़ की वृद्धि भी सम्मिलित थी।
- vi. इंड एएस को अपनाए जाने के कारण केएससीएल के निवल मूल्य में ₹ 63.36 करोड़ की कमी दर्ज की गई। इसमें पूंजीगत आरक्षित निधि की शेष राशि को परियोजना व्यय हेतु सरकारी अनुदान निधि में हस्तांतरण (₹ 40.92 करोड़) एवं शुद्ध समायोजन (₹ 22.44 करोड़) के कारण कमी सम्मिलित थी।

निष्कर्ष

इंड एएस को अपनाए जाने के परिणामस्वरूप वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे में बदलाव, ऐतिहासिक लागत पर मूल्यांकन की तुलना में उचित मूल्यांकन के उपयोग में बढ़ोत्तरी एवं कानूनी रूप की

66 आईजीएएपी के अंतर्गत, भूमि के आंवटन से राजस्व की पहचान परियोजना चरण की पूर्णता को ध्यान में रखे बिना की जाती थी जबकि इंड एएस के अंतर्गत इसकी पहचान तभी की जाती है जब परियोजना पूर्ण होने के उचित स्तर पर पहुँच जाती है।

तुलना में सार पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। चयनित 10 सरकारी कंपनियों के लेखापरीक्षा विश्लेषण ने इंगित किया कि इंड एएस को अपनाए जाने का कर पश्चात लाभ (₹ 199.62 करोड़), राजस्व (₹ 94.99 करोड़), कुल परिसंपत्तियों (₹ 569.68 करोड़) एवं निवल मूल्य (₹ 434.64 करोड़) पर नकारात्मक संचयी प्रभाव पड़ा, जैसा कि इन सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया था। इंड एएस को अपनाए जाने के संचयी प्रभाव में दो सरकारी कंपनियों (आरएसजीएल एवं आरएसजीएसएमएल) की कुल परिसंपत्तियों पर प्रभाव शामिल नहीं था क्योंकि इन कंपनियों ने अपने इंड एएस अनुपालन वित्तीय विवरणों में प्रभाव का ब्यौरा नहीं दिया था।

किए गए प्रमुख परिवर्तन परिसंपत्तियों/देनदारियों का ऐतिहासिक लागत मूल्यांकन के स्थान पर उचित मूल्यांकन, राजस्व पहचान की पद्धति में बदलाव, आस्थगित कर का लेखांकन, वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति, पूर्व अवधि की मदों का समायोजन, अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन, 'पूँजीगत कार्य प्रगति पर' में समायोजन, प्रस्तावित लाभांश को रद्द करने एवं कलपुर्जों व मुख्य निरीक्षण के लिए मूल्यहास के समायोजन से संबंधित थे। राजकीय उपक्रमों के वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए परिवर्तनों को संबंधित राजकीय उपक्रम के निष्पादन एवं वित्तीय स्थिति का आंकलन करते समय उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

जयपुर

दिनांक 9 नवम्बर 2022

अर्चना गुर्जर

(अर्चना गुर्जर)

महालेखाकार

(लेखापरीक्षा-II), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक 14 नवम्बर 2022



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

